



अंत्योदय—सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड
पारिवारिक पेंशन—हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. आवेदक मृतक पेंशनर का विधिक पति/पत्नी होना/होनी चाहिए।
2. पेंशनर का मृत्यु प्रमाण—पत्र

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. रू0 500 /— प्रति मास
2. पेंशनर कर्मकार की मृत्यु के बाद इस राशि का भुगतान उसके/उसकी पति/पत्नी को मासिक आधार पर किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज :

1. पेंशनर का मृत्यु प्रमाण—पत्र
2. पहचान/नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड
3. विधिक पति/पत्नी का सबूत

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25 /— और रू0 5 /— प्रति मास (रू0 60 /— प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10 /—	रू0 10 /—

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन